सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

आषाढ़ 18, शुक्रवार, शाके 1943–जुलाई 9, 2021
Asadha 18, Friday, Saka 1943- July 9, 2021

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी नांवा जिला नागौर

प्रपत्र-9

(धारा 19 भू-अर्जन पुनर्वासन एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत घोषणा एवं सार)

नियम 21 के उपनियम- (1) देखें

घोषणा

जयपुर, जुलाई 01, 2021

संख्या **प.7(505)एस.एच.ए./पीपीपी/2020-2021/ 271** :-राजस्थान सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची की सारणी में वर्णित भूमि का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए ग्राम-खोरण्डी, तहसील-नांवा,जिला-नागौर में खुद-दांतारामगढ़-रेनवाल राज्य राजमार्ग संख्या 8A सड़क के पुर्ननिर्माण/चौड़ीकरण/ विकसित किये जाने के लिए आवश्यक है।

अत: एतद द्वारा घोषणा की जाती है कि मानक माप के अनुसार निजी 0.7402 हैक्टेयर और सरकारी 0.5965 हैक्टेयर भूमि परियोजना के लिए ग्राम-खोरण्डी, तहसील-नांवा, जिला-नागौर भूमि का सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अधिग्रहण किया जाना है जिसका विस्तार विवरण निम्न सूची के अनुसार है

क्र. संख्या	जिला	तहसील	ग्राम	खसरा संख्या निजी	खसरा संख्या सरकारी	अजर्न का क्षेत्रफल (निजी) (हैक्टेयर)	अजर्न का क्षेत्रफल (सरकारी) (हैक्टेयर)	अजर्न का क्षेत्रफल कुल (हैक्टेयर)
1	नागौर	नांवा	खोरण्डी	7	5	0.7402	0.5965	1.3367
		कुल		7	5	0.7402	0.5965	1.3367

यह घोषणा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30/2013) में उचित क्षतिपूर्ति और पारदर्शिता के अधिकार की धारा 15 के प्रावधानों के तहत हितबद्ध व्यक्तियों/खातेदारों से उक्त भूमि के अधिग्रहण के संबंध में प्राप्त आपत्तियों को सूनने एवं जांच उनके निस्तारण कर एवं सरकार द्वारा अनुमोदित करने के उपरांत की गई है।

भू-अर्जन के कारण पुनर्वासन होने वाले परिवारों की संख्या शुन्य है।

कोयला, लौहा,पत्थर स्लेट या अन्य खनिजों की खादानों के होने की स्थिति में उपरोक्त भूमि के किसी विशेष हिस्से जिनकी खानों और खनिज जिनको खोदा जाना आवश्यक हो सकता है कि ऐसे भागों को छोड़कर/निकालकर परियोजना के निर्माण चरण के दौरान भूमि का इस्तेमाल किया जाएगा ऐसी भूमि का ही

अधिग्रहण किया जा सकता है। भूमि का नक्शा (प्लान) का नि रीक्षण/अवलोकन भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी नांवा जिला नागौर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस पर किया जा सकता है।

प्रस्तावित भूमि अर्जन से किसी भी प्रभावित व्यक्ति का विस्थापन निहित नहीं है।

अथवा

उक्त परियोजना के पुनर्वासन योजना प्रस्ताव शून्य होने से प्रभावित भू-अर्जन से प्रभावित किसी भी व्यक्ति/व्यक्तियों का पुनर्वासित किया जाना प्रस्तावित नहीं है, परियोजना रिपोर्ट का अवलोकन भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी नांवा,जिला नागौर के कार्यालय में किया जा सकता है।

कार्य का नाम:- खुद-दांतारामगढ़-रेनवाल राज्य राजमार्ग संख्या 8A परियोजना सड़क का विकास (निर्माण) कार्य स्थल विवरण पत्र का प्रारूप 9, ग्राम-खोरण्डी, तहसील-नांवा,जिला-नागौर।

प्रभावित क्षेत्र का विवरण-

क्र. स.	खसरा सं.	गांव का नाम	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	संपूर्ण क्षेत्रफल (है.)	अर्जन का क्षैत्र (हेक्टयर में)	हितबद्ध् व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएं			
								उ.	द.	पू.	प.
1	528	खोरण्डी	सरकारी	गै.मु. आबादी	0.2100	0.0075	चारागाह अन्य सामान्य काम हेतु				
2	766/530	खोरण्डी	निजी	बारानी 1	0.4800	0.0100	प्रहलाद पुत्र बंशीराम				
3	535	खोरण्डी	सरकारी	गै.मु. रास्ता	0.5700	0.0345	राजस्थान सरकार				
4	536	खोरण्डी	निजी	गै.मु. ढाणी	0.1300	0.0502	प्रेमदेवी पत्नी शिवदयाल				
5	851/740	खोरण्डी	निजी	बारानी-1	0.2500	0.2140	1. नाथीदेवी पत्नि श्रवणराम 2. नानूराम पुत्र श्रवणराम 3. प्रेमदेवी पुत्री श्रवणराम 4. सागरमल पुत्र श्रवणराम				
6	740/537	खोरण्डी	निजी	बारानी-1	0.2500	0.1820	1. इन्द्रा देवी पुत्री लालुराम 2. छोटूराम पुत्र लालुराम 3. नर्बदादेवी पुत्री लालुराम 4. प्रकाशीदेवी पत्नि लालुराम 5. वासुदेव पुत्र लालुराम 6. श्योजीराम पुत्र लालुराम				

7	852/740	खोरण्डी	निजी	बारानी-1	0.4400	0.1720	1. नाथुराम पुत्र बाबुलाल 2. मिश्री देवी पत्नि बाबुलाल				
8	537	खोरण्डी	सरकारी	गै.मु. खारडा	1.4700	0.5125	राजस्थान सरकार				
9	576	खोरण्डी	सरकारी	गै.मु. खारडा	0.1000	0.0070	राजस्थान सरकार				
10	577	खोरण्डी	सरकारी	गै.मु. खारडा	0.7000	0.0350	राजस्थान सरकार				
11	578	खोरण्डी	निजी	बारानी-1	1.9200	0.0710	1. गोपीराम पुत्र सुरजमल 2. छिगनाराम पुत्र सुरजमल 3. डालूराम पुत्र सुरजमल 4. बिरदाराम पुत्र सुरजमल 5. मोतीराम पुत्र सुरजमल 6. रामपाल पुत्र सुरजमल				
12	585	खोरण्डी	निजी	बारानी-1	1.7200	0.0410	1. कमली पुत्री बोदूराम 2. केसरदेवी पुत्री भगवानाराम 3. किस्तूरी पत्नि बोदूराम 4. गिरधारीलाल पुत्र भगवानाराम 5. गोपालराम पुत्र भगवानाराम 6. जगदीश पुत्र भगवानाराम 7. जडावली पत्नि हीराराम 8. पूजादेवी पुत्री भगवानाराम 9. बलबीर पुत्र हीराराम 10. भगवती पुत्री बोदूराम 11. रणजीत पुत्र हीराराम 12. लालीदेवी पत्नि भगवानाराम 13. विनोद पुत्र हीराराम				

							14. शिशपाल पुत्र हीराराम 15. सजनादेवी पुत्री भगवानाराम 16. सुनितादेवी पुत्री भगवानाराम 17. स्यानादेवी पुत्री भगवानाराम 18. सोहनी पुत्री बोदूराम 19. हरदेवाराम पुत्र भगवानाराम				
कुल अधिग्रहण का क्षेत्रफल हेक्टेयर में						**1.3367**					

मनवर अली,
संयुक्त सचिव (पथ)
सा.नि.वि., जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।